

तारिख  
नम्बर  
जो इस  
तासील  
अधीन

# पायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2023 उनवान श्योजी बनाम रामचन्द्र ::

1. श्योजी पुत्र नारायण
2. मोती पुत्र मादिया
3. शान्ति पत्नी सुगना (नाम तर्क)
4. रतन पुत्र हीरा  
4/1 नन्दकिशोर पुत्र रतनलाल  
4/2 सोनू पुत्र रतनलाल  
4/3 सेठू पुत्र रतनलाल  
4/4 माया पुत्री रतनलाल
5. प्रेम पुत्री सुगना
6. मथरा पुत्री सुगना
7. कमला पुत्री हीरा
8. छीतर पुत्र सुगना
9. मदन पुत्र हीरा (फौत) (नाम तर्क)  
सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अराई जिला अजमेर राज।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भूरा
  2. नन्दू पत्नी रामचन्द्र
  3. रामेश्वर पुत्र भूरा
  4. मनराज पुत्री मदनलाल
  5. सूरज देवी पत्नि मदनलाल
  6. किशनलाल पुत्र मदनलाल
  7. देवकरण पुत्र मदनलाल
  8. खुशीराम पुत्र संतराम
  9. गीता देवी पत्नी संतराम
  10. तींजा देवी पत्नी तेजा
  11. मंशा पुत्री भैरू
  12. लादू पुत्र छीतर
  13. सांवरलाल पुत्र संतराम
  14. हंसा देवी पुत्री संतराम
  15. छोगा पुत्र लादू  
15/1 तेजू पुत्र छोगा  
15/2 हंसराज पुत्र छोगा  
15/3 रामजीलाल पुत्र छोगा  
15/4 मनफूल पुत्र छोगा
- सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अराई जिला अजमेर राज।



उपखण्ड अधिकारी  
अराई (अजमेर)

16. हनका पुत्री धन्नालाल

17. पप्पू पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कुहाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

18. तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज०।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भूराजस्व  
अधिनियम 1956


उपस्थित दौराने बहस वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03

निर्णय दिनांक 09.05.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 21/2023 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणों की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 1409/449 रकबा 0.4530 हैक्टैयर है तथा खसरा संख्या 457 रकबा 0.9834 हैक्टैयर स्थित है, उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2023 को मौका पर्चा तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सीव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 17 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष

सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सीव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक



  
उपखण्ड अधिकारी  
अरांई (अजमेर)

रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1409/449 रकबा 0.4530 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 457 रकबा 0.9384 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावे।

दिनांक 27.07.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 03 से 18 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 24.08.2023 को वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी संख्या 04 फौत हो चुका है उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे, वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापत्ती जाहिर की गई, उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 12.04.2024 तक अप्रार्थी संख्या 04 से 18 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 04 से 18 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 12.04.2024 को वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण द्वारा करवाया गया सीमाज्ञान अवैध है तथा अवैध सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी नहीं की जा सकती एवं राजस्व नक्शे में त्रुटि है जिसके कारण प्रार्थीगण खसरा संख्या 451 में प्रवेश करना चाहते हैं, साथ ही खसरा संख्या 457 एवं 1409/449 में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन है जिसके अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं का जा सकती है। दिनांक 09.05.2024 को वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 03 का नाम तर्क किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर अंकन किया गया कि प्रार्थी संख्या 09 फौत हो चुका है, उसके सम्बन्ध में कोई अनुतोष माननीय न्यायालय से नहीं चाहा गया है अतः प्रार्थी संख्या 09 का नाम तर्क फरमाया जावे। न्यायहित में प्रार्थी संख्या 09 का नाम तर्क किया गया। तत्पश्चात हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भूराज.अधि. 1956 पर बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त तथा पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि वादअधीन भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा राजस्थान भूराज0 अधि. 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है, जहां तक वकील अप्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर स्थगन आदेश है तो उक्त के संबंध में नवीनतम जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पता चला कि स्थगन केवल राजस्व रिकार्ड तथा बेचान नहीं करने बाबत सहखातेदारों के विरुद्ध प्रारित किया गया है, ना कि अप्रार्थीगणों के विरुद्ध। प्रकरण में वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये गये।



  
उपखण्ड अधिकारी  
भरसई (अजमेर)


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण वादअधीन आराजी के संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी संख्या ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अराई में स्थित आराजी खसरा संख्या 1409/449 रकबा 0.4530 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 457 रकबा 0.9384 हैक्टेयर को स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :-

अतः यह न्यायालय आदेश देती हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि आराजी ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 1409/449 रकबा 0.4530 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 457 रकबा 0.9384 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1500/-रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस जमा करवाने पर तहसीलदार अराई मौके पर उपस्थित रहकर, संसाधन लेकर तथा थानाधिकारी अराई से पर्याप्त पुलिस जाप्ता लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि ग्राम सिरोंज तहसील अराई स्थित खसरा संख्या 1409/449 रकबा 0.4530 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 457 रकबा 0.9384 हैक्टेयर का पक्षकारान को नोटिस जारी कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त आराजी का नाप जोप कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार अराई को आदेश पालना की तहरीर जारी की जावे।



  
उपसुपखण्ड अधिकारी  
अराई (अजमेर)